

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : प.23(2)चि. एवं स्वा.3 / 2003 पार्ट

दिनांक

10 AUG 2007

अधिसूचना

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 17 की उप धारा (2) सपष्टित उप धारा (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.12 (38) चि.5 / 94—पार्ट-III दिनांक 16.06.01 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति “मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी” के स्थान पर ‘‘जिला कलेक्टर’’ प्रतिस्थापित किया जावेगा।


राज्यपाल की आज्ञा से

—हृषि—
(राजेन्द्र किशन)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्य मन्त्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक एनआरएचएम, राजस्थान जयपुर।

7. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, निमार्ण भवन जयपुर।
8. अदर सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, निमार्ण भवन, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, विधि सचिव राजस्थान जयपुर।
10. संबंधित जिला कलैकटर, राजस्थान।
11. अनुभाग अधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
12. सहायक आयुक्त (पॉलिसी) स्वास्थ्य एवं प0क0 मन्त्रालय, भारत सरकार, निमार्ण भवन, नई दिल्ली।
13. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. निदेशक, पीएनडीटी, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, नई दिल्ली।
15. निदेशक (जन स्वार्थ) / (प0क0) / (एडस), मुख्यालय।
16. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
17. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
18. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
19. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
20. समस्त अतिरिक्त / उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प0क0) / (उपखण्ड) राजस्थान।
21. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, 'राजस्थान।
22. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्रम करें।
23. रक्षित पत्रावली।


 उप शासन सचिव
 १०/४०५